।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना बगरू जयपुर पश्चिम।।

क्रमांकः—ईमेल दिनांकः— 10.03.2021

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, महोदय,
वैशालीनगर, जयपुर पश्चिम।

विषयः—तथ्यात्मक रिपोर्ट मुकदमा नम्बर 92/2021 धारा 302,201 आई.पी.सी. दिनांक 25.02.2021 पुलिस थाना बगरू जयपुर पश्चिम।
प्रसंगः— श्रीमान के कार्यालय के टेलिफोनिक आदेश दिनांक 10.03.2021 की पालना में।

महोदय,

वाक्यात मुकदमा इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 25.2.2021 को समय 07.33 ए एम पुलिस कन्ट्रोल रूम से इत्तला मिली कि भैरूजी के स्थान के पास गांव धानक्या से बड के बालाजी की तरफ जानी वाली रोड के पास एक महिला की लाश पडी है, जिस पर मन थानाधिकारी मय कानि0 रवि कुमार मयच प्राईवट वाहन के घटना स्थल रवाना हुआ तथा हाजा से श्री मदन गोपाल स0उ0नि0 मय कानि0 मुकेश कुमार 6198, मुकेश कुमार कानि0 10111, यादराम 7648, रामचन्द्र कानि0 10282, मुनेश कुमार कानि0 4896, नानगराम कानि0 10482, रामेश्वर कानि0 9171 मय अनुसंधान बॉक्स मय सरकारी वाहन के घटना स्थल पर तलब किया गया, मन थानाधिकारी मय जाप्ता के घटना स्थल मौज्या मोड से गांव धानक्या जाने वाली रोड पर चकरासर चौराहा के पास पहुचा जहां बोरी मे डाली हुई एक महिला की लाश पडी मिली, घ टना स्थल को कवर किया गया तथा सूचना से अफसरान बाला को अवगत करवाया गया तथा मौके के हालात उच्चाधिकारियो को बताये गये। मौके पर परिवादी श्री रामलाल गौरा पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति जाट उम्र —42 साल निवासी गांव धानक्या थाना बगरु जयपुर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ''आज दिनांक 25.2.2021 को मै घर से करीब 7.33 बजे सुबह मोज्यमोड की तरफ किसी काम से जा रहा था मैने देखा कि चकरामसर चौराहा से पहले दाहिनी तरफ रोड की साईड मे एक बोरा मे किसी अज्ञात महिला की लाश पडी दिखी जिसका चेहरा बोरे से बाहर था जो दिखाई दे रहा था चेहरा पूरा छिल्ला हुआ था जिसके बाल बिखरे हुये थे मुझे लगता है उक्त महिला किसी ने मारकर (हत्याकर) छुपाने के इरादे से बोरे मे डालकर यहां पर डालकर गये है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे।'' आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नं0 92/21 धारा 302, 201 भादस मे कायम कर मन् एसएचओ रतन लाल पु0नि0 मशरुफ तफ्तीश हुआ।

दौराने अनुसंधान घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द सुरतेहाल लाश मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उच्चाधिकारियों को घटना स्थल एवं वारदात के बारे मे अवगत कराया जाकर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दौराने कार्यवाही घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटना स्थल कसीद कर शामिल जांच किया गया। मौके पर परिवादी श्री रामलाल गौरा ने एफआईआर पेश की जिस पर कार्यवाही पुलिस अंकित कर मुकदमा कायमी हेतु जरिये श्री मदन गोपाल सउनि के थाना हाजा पर भिजवाई गई। घटना स्थल से साक्ष्य संकलन करने हेतु एफएसएल मोबाईल टीम को बुलाया गया। मुलजिमान की तलाश हेतु डॉग स्क्वायट टीम को बुलाया जाकर मुलजिमान की तलाश की कार्यवाही की गई। फिगंर प्रिन्ट टीम को मौके पर बुलाया जाकर मृतका के फिगंर प्रिन्ट लिवाये गये। बाद कार्यवाही मृतका अज्ञात महिला की लाश को मुर्दाघर एसएमएस अस्पताल के डी फ्रिज मे रखवाने हेतु जरिये एम्बुलेन्स एसएमएस

अस्पताल भिजवाई गई। घटनास्थल पर मृतका का बिखरा खून के नमुने बतौर वजह सबूत जप्ती मौका आलामत की कार्यवाही की गई। श्री मदन गोपाल स0उ0नि0 ने थाना हाजा से एफआईआर 92/21 धारा 302, 201 भादस मे दर्ज करवाकर एफएफआर प्रति मन थानाधिकारी को पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण मे एसआर जारी की गई। मृतका के वारिसान की एवं वारदात को अन्जाम देने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू की गई तथा मुलजिमान की तलाश हेतु घटना स्थल के आस पडौसियान से पूछताछ की जाकर जानकारी प्राप्त की गई। घटना स्थल की तरफ आने वाली रास्तो के लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिगं चैक की गई। तथा घ टना स्थल से बीटीएस उठाने के लिये श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय के कार्यालय से तकनिकी टीम को बताया गया। मृतका के वारिसान की एवं वारदात को अन्जाम देने वाले मुलजिमान की तलाश हेतु अलग अलग टीमे तैयार कर रवाना की गई। आयुक्तालय जयपुर के पुलिस कन्ट्रोल रूम व समस्त थानाजात को मुस्तेहरी जारी की जाकर मृतका की पहचान कराने व मृतका के वारिसान की तलाश करने हेतु निवेदन किया गया। थाना हाजा से मृतका के वारिसान व मृतका की शिनाख्तगी के लिए जिप नेट पर अज्ञात मृतका की सूचना मय मृतका की फोटो के अपलोड किया गया जाकर एक प्रति शामिल पत्रावली की गई। मुकदमा हाजा मे परिवादी श्री रामलाल गौरा व गवाह श्री छीतर मल रैगर से प्रकरण मे दरियाफ्त कर बयान हस्वदफा 161 सीआरपीसी मे लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। मृतका महिला अज्ञात के वारिसान व मृतका महिला की शिनाख्त करने हेतु दिनांक 26.02.2021 को राष्ट्रीय समाचार पत्रो मे घटना की खबर व फोटोग्राफस प्रकाशित करवाये गये। समाचार पत्रों मे छपी खबर की प्रति शामिल पत्रावली की गई। मुकदमा हाजा मे मृतका महिला अज्ञात के वारिसान की एवं वारदात को अन्जाम देने वाले मुलजिमान की तलाश करने हेतु बगरू टोल प्लाजा, ऑमेक्ष सिटी फ्लेटों के सीसीटीवी फुटेज देखे गये। मृतका महिला इस्तीहार छपवाये जाकर तलाश हेतु वितरित किये गये एवं राज्य से बाहर जानी वाली बसों व ट्रेनों पर चिपकाये गये। मुकदमा हाजा मे थाना हाजा से एक टीम घटित की जाकर जयपुर शहर, सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस्तीहार वितरीत व चस्पा किये गये। मुकदमा हाजा मे अनुसंधान हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पश्चिम के कार्यालय से सुपरवाईजरी नोट क्रमांक 8097–99 दिनांक 06.02.2021, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पश्चिम के कार्यालय से सुपरवाईजरी नोट क्रमांक 235 दिनांक 26.02.2021 व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय के कार्यालय से सुपरवाईजरी नोट क्रमांक 539–41 दिनांक 27.02.2021 थाना हाजा पर प्राप्त होने पर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किये गये। मुकदमा हाजा मे मृतका महिला के वारिसान की तलाश हेतु आयुक्तालय जयपुर के समस्त थानेजात को जरिये ईमेल पत्र जारी कर एवं जरिये पीसीआर के माध्यम से वायरलेश सूचना प्रसारित करवाकर अवगत कराया गया। मुकदमा हाजा मे मृतका महिला के वारिसान की तलाश हेतु अध्यक्ष रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया बिन्दायका को पत्र क्रमांक 988 दिनांक 27.02.2021 दिया जाकर रिको ऐरिया बिन्दायका मे काम करने वाली स्थानीय व राज्य से बाहरी मजदूरों की सुचना व कोई महिला गायब हो तो उसके बारे मे पता लगाने बाबत अवगत कराया गया एवं तलश्श की गई। मुकदमा हाजा मे मृतका महिला अज्ञात के वारिसान की एवं वारदात को अन्जाम देने वाले मुलजिमान की तलाश करने हेतु घटना स्थल का सम्भावित समय का बीटीएस डाटा की डिटेल उपलब्ध कराने हेतु थाना हाजा से तहीरीर क्रमांक 36 दिनांक 27.02.2021 जरिये ईमेल भिजवाई जाकर श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पश्चिम को निवेदन किया गया। मुकदमा हाजा मे मृतका महिला के वारिसान की तलाश हेतु पुलिस थाना करणीविहार मे दर्ज एमपीआर नं0 12/2020 दिनांक 13.03.2020 के परिवादी से सम्पर्क कर एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर मे रखी महिला की लाश को दिखाई जाकर शिनाख्तगी के प्रयास किये गये, एमपीआर हाजा के परिवादी ने उक्त एमपीआर मे वांछीत महिला नही होना बताया गया। मृतका महिला के वारिसान की एवं वारदात

को अन्जाम देने वाले मुलजिमान की तलाश बगरू, भांकरोटा, ओमेक्ष सिटी, वाटिका सिटी रिको ऐरिया बगरू, दरसुलिया कच्ची बस्ती, व अन्य संभावित स्थान पर की गई। एनएच 8 से धानक्या गांव की तरफ जाने वाली रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिगं चैक की गई। बड के बालाजी, भांकरोटा, बगरू, बेगस आदि स्थानों पर बारदाना की दुकानों पर वारदात मे प्रयुक्त बोरियों के फोटोग्राफस दिखाया जाकर मृतका महिला के बारे मे व अपराधियों के बारे मे जानकारी करने के प्रयास किये गये। दिनांक 28.02.2021 को पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर मे दर्ज एमपीआर नं0 18/20 मे गुमशुदा लडकी का भाई श्री बनवारी लाल को प्रकरण हाजा मे मृतका अज्ञात महिला के पहचान चिन्हों एवं हुलिया के बारे मे जानकारी दी गई, एवं श्री बनवारी लाल को एसएमएस अस्पताल मुर्दाघर मे रखी मृतका की लाश दिखावाई जाकर शिनाख्तगी का कार्यवाही गई। जिस पर श्री बनवारी लाल ने उक्त मृतका को अपनी बहिन होना नही बताया। मुकदमा हाजा मे मृतका महिला के वारिसान की एवं वारदात को अन्जाम देने वाले मुलजिमान की तलाश के दौरान किसी व्यक्ति ने उक्त मृतका का हुलिया पुलिस थाना महेशनगर जयपुर पश्चिम के मुकदमा नं0 875/19 मे आरोपिया सुश्री प्रगति चौधरी पुत्र श्री रणवीर सिह जाति जाट उम्र 21 साल निवासी रोडाई थाना रोडाई जिला रेवाडी हरियाणा हाल किरायेदार नमीसागर प्लाट नं0 124 श्रीपथ वैशालीनगर जयपुर से मिलता जुलता होना बताया जिस पर सुश्री प्रगति चौधरी मय श्री शक्तीसिंह के बारे मे पता किया जाकर तलाश की गई तो प्रगति चौधरी वर्तमान मे मौजूद होना पाया। मुकदमा हाजा मे मृतका महिला अज्ञात के वारिसान की एवं वारदात को अन्जाम देने वाले मुलजिमान की तलाश एवं चिन्हीत कर तफ्तीश करने हेतु दिनांक 01.07.2021 से दिनांक 25.02.2021 की अवधी मे पीटा एक्ट, महिलाओं द्वारा ब्लेकमेल करने व हनीट्रेप से संबन्धित घटनाओं बाबत आयुक्तालय जयपुर के समस्त थानाजान से जरिये ईमेल सूचना चाहने बाबत तहरीर जारी की गई। प्रकरण हाजा मे बीटीएस प्राप्त होने पर बीटीएस का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। जयपुर शहर मे देह व्यापार एवं महिलों की दलाली करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों **1.** श्री वेदप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल सैनी जाति माली उम्र 43 साल निवासी प्लाट नं0 141 सुधा आंगन तृतीय फेज ओमेक्ष सिटी बड के बालाजी अजमेर रोड जयपुर। मोबाईल नं0 8290081921**, 2.** राकेश मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी कचनार थाना नरेना जिला जयपुर ग्राामीण हाल– निवासी 9/40 रेल्वे कॉलोनी विद्याधर नगर जयपुर मोबाईल नं0 9667020988, 3.उपेन्द्र सिंह शैखावत उर्फ बना पुत्र श्री मांगू सिह शेखावत जाति राजपूत उम्र 43 साल निवासी 13ए आनन्द विहार चंचल वाटिका बेनाड रोड झोटवाडा, थाना झोटवाडा जयपुर हाल निवासी 81/3 पटेल मार्ग न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर हाल निवासी बी– ब्लॉक फ्लेट नं0 1437 माय हवेली थाना भांकरोटा जयपुर। मोबाईल नं0 8560853110, 7014836084, 4.धारा सिंह मीणा पुत्र श्री भंवर लाल मीणा उम्र 30 साल मीणों का मौहल्ला गांव कचनार थाना नरायना जिला जयपुर मोबाईल नं0 6378107485, 5. सुनील उर्फ शिकारी पुत्र श्री नरेश यादव जाति यादव उम्र 33 साल निवासी पंचबीडीया थाना रमगडवा जिला पूर्वी चम्पारन बिहार हाल रेल्वे कॉलोनी विद्याधर नगर जयपुर मोबाईल नं0 8070666668, 7230954515 **एवं अन्य से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट मुर्तिब किये गये। मुकदमा नं0 190/21 पुलिस थाना मानसरोवर की एफआईआर की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।** मृतका महिला अज्ञात को को मरे काफी समय बीत चुका होने व मृतका महिला अज्ञात की लाश खराब होने की पूर्ण सम्भावना होने पर श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पश्चिम के कार्यालय से मेडिकल बोर्ड का गठन कर मृतका महिला अज्ञात की लाश का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाने बाबत अधीक्षक महोदय एसएमएस अस्पताल जयपुर के नाम प्रत्र क्रमांक 8981–82 दिनांक 05.02.2021 प्राप्त कर श्रीमान अधीक्षक महोदय एसएमएस अस्पताल जयपुर द्व ारा मेडिकल बोर्ड गठित करने पर मृतका महिला अज्ञात का पंचायतनामा मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया एवं पोस्टमार्टम कराया जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मय अग्रेषण पत्र मय जार

मय डीएनए सैम्पल प्राप्त किये गये तथा श्रीमान एमजे साहब द्वारा मृतका की लाश देने पर नगरनिगम जयपुर को तहरीर जारी कर मृतका महिला का रिती रिवाजों से अन्तीम संस्कार करवाया गया। प्रकरण हाजा मे मृतका महिला अज्ञात की अब तक कार्यवाही शिनाख्तगी नही हो पाई है। श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पश्चिम द्वारा प्रकरण के अनुसंधान एवं मृतका के वारिसान व वारदात को अन्जाम देने वालों की तलाश हेतु कुछ बिन्दुवार निर्देश फरमाये है, मृतका के वारिसान व आरोपियान की तलाश जारी है।

तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय

(रतन लाल, पु0नि0)
थानाधिकारी,
पुलिस थाना बगरू,
जयपुर पश्चिम।